न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या:– 21/23 दायरा दिनांक 31.07.2023

पीठासीन अधिकारी :– श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

काशीलाल पुत्र हीरालाल जाति किराड निवासी खाण्डा सहरोल तहसील शाहबाद जिला बारां (राज.)

– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद जिला बारां (राजस्थान) – रेस्पोडेण्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट.

निर्णय दिनांक :– 21-10-2024

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत तहसीलदार शाहबाद के प्रकरण संख्या 12/23 निर्णय दिनांक 14.02.2023 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को ग्राम खाण्डा सहरोल की आराजी खसरा नम्बर 475 रकबा 2.00 बीघा किस्म गैर मुमकीन रास्ता पर अतिक्रमी मानकर 30/– रूपये जुर्माना, फसल नीलामी एवं बेदखली के आदेश दिए गए हैं.। साथ ही अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर एक माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट का कथन है कि उक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना कोई सूचना दिये तथा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने बाबत् कोई स्वतन्त्र साक्ष्य नहीं ली गई है न ही मौके पर जाकर मौका देखा गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली की तलबी की गई ।

वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराने के साथ साथ अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के पास अपीलान्ट को द्वितीय अतिचारी माना जाने योग्य कोई ठोस आधार नहीं है। पश्चातवर्ती अतिचारी सिद्ध करने हेतु विवादग्रस्त आराजी से बेदखली के आदेश एवं वेदखलनामा की प्रति संलग्न करना जरूरी है। अपीलान्ट के वकील का यह भी तर्क है कि बिना कोई सूचना दिये निर्णय पारित किया गया है। मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है। अतः सिविल कारावास की सजा निरस्त करने योग्य है ।

हमने अपीलान्ट के विद्वान वकील के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जिसमें अतिकमी को पश्चातवर्ती अतिचारी सिद्ध करने बाबत पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय करने में कोई भूल नहीं की है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तदनुसार कार्यवाही हेतु वापिस भेजी जावे । पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Scanned with OKEN Scanner